Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No. 99/TG-V/21/13 **New Delhi, dated 07 .12.2016**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 67 of 2016)

Sub: Remittance of cash collected by TTEs and its correct accountal.

Please refer to this office letter of even No. dated 13.09.2000 (Commercial Circular No. 54 of 2000) wherein in para 1(f) it has been advised that the TTE will not keep more than one local and one foreign EFT book at a time. Further, he/she may, however, draw the third book only if five or less (inadvertently mentioned as "more") blank foils are left in the previous book.

2. A Suggestion was received that due to increase in passenger traffic, frequency of trains, introduction of number of new trains etc., the number of EFT books to be issued to ticket checking staff may be revised upwardly.

3. The matter has been examined in consultation with Accounts, Finance and Vigilance Directorate of Ministry of Railways and it has been decided to maintain the status quo and the TTE will not keep more than one local and one foreign EFT book at a time. He/She may, however, draw the third book only if 5 or less blank foils are left in the previous book.

4. However, the issuance of third EFT book shall also be subject to the following conditions:

a. All the books should not be used simultaneously i.e. additional book should be put to use only after exhausting all the foils of the book on hand.

b. The continuity of the used foils should be strictly watched.

c. The prevailing rules for loss/damage of the EFT books shall be applicable for the additional book also.

5. This issues with concurrence of Finance & Accounts Directorate of the Ministry of Railways.

(Vikram Singh)	**(T.D.Diwivedi)**	**(Rabindra N. Mishra)**
DPM/Railway Board	**DF(A)/Railway Board**	**DF(C)/Railway Board**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 99/टीजी-V/21/13 नई दिल्ली, दिनांक 07.12.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 67)

विषय: टीटीई द्वारा संग्रहित नगदी को सौंपना और उसकी सही-सही गणना करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 13.09.2000 के समसंख्यक पत्र (2000 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 54) का अवलोकन करें जिसके पैरा 1(एफ) में सूचित किया गया है कि टीटीई एक समय में एक लोकल और एक फॉरेन ईएफटी बुक से अधिक बुक नहीं रखेगा। इसके अलावा, वह तीसरा बुक तभी प्राप्त कर सकेगा जब पिछली बुक में पांच अथवा इससे कम (गलती से "अधिक" उल्लेख किया गया है) ब्लैंक फॉयल बची हुई हो।

2. इस संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि यात्री यातायात, गाड़ियों के फेरे में वृद्धि किए जाने, नई गाड़ियां चलाई जाने आदि के कारण टिकट चेकिंग स्टाफ को जारी की जाने वाली ईएफटी बुको की संख्या में वृद्धि की जाए।

3. रेल मंत्रालय के लेखा, वित्त और सतर्कता निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और इस संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया है और टीटीई एक समय में एक लोकल और एक फॉरेन ईएफटी बुक से अधिक बुक नहीं रख सकता है। बहरहाल, यदि पिछली बुक में 5 या उससे कम ब्लैंक फॉयल बची हों तभी वह तीसरी बुक प्राप्त कर सकता है।

4. बहरहाल, तीसरी ईएफटी बुक निम्नलिखित स्थितियों में भी जारी की जाएगी:-

क. सभी बुकों का उपयोग एक साथ नहीं किया जाना चाहिएअर्थात् जिस बुक का उपयोग किया जा रहा है उसमें सभी फॉयल समाप्त होने के बाद ही अतिरिक्त बुक का उपयोगकिया जाना चाहिए।

ख. उपयोग किए गए फॉयलों की निरंतरता पर कड़ाई से नज़र रखनी चाहिए।

ग. ईएफटी बुकों की हानि/क्षति के लिए के लिए लागू वर्तमान नियम अतिरिक्त बुक के लिए भी लागू होगा।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन/रेलवे बोर्ड

(टी.डी.द्विवेदी)
निदेशक वित्त(ए)/रेलवे बोर्ड

(रबीन्द्र एन. मिश्र)
निदेशक वित्त(सी)/रेलवे बोर्ड